क्रम
रजिस्टर्ड नं० ए० डी०––4
लाइसेंस सं० डब्ल्यू० पी० –– 41
(लाइसेन्स्ट पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग –– 4, खण्ड (ख)

IndiaCode

(परिनियत आदेश)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 1983
भाद्रपद्र 24, 1905, शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
श्रम अनुभाग–3

संख्या 19 / 36–3––509(एम0बी0)–74–सी0ए053–1961–रूल–83
लखनऊ, 15 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1961) की धारा 28 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त श्रधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 3912 / 36–3––509 (एम0बी0)–74, दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 में पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश प्रसूति प्रसुविधा नियगायली, 1983

(प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 28 देखिए)

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रवेश प्रसूति प्रसुविधा नियमावली, 1983 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषा

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 (अधिनियम सन् 93, सन् 1961) से है।

(ख) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है ।

(ग) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 8 के अधीन नियुक्त कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुख्य कारखाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक और उसी अधिनियम की उसी धारा के अधीन पदेन कारखाना निरीक्षक और बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन यथा पारिभाषित उत्तर प्रदेश के बागानों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बागान निरीक्षक और मुख्य बागान निरीक्षक से है।

(ड़) ''मस्टर रोल'' का तात्पर्य नियम 3 के अधीन रखे गये मस्टर रोल से है।

(च) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' का तात्पर्य ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से है जिसका नाम श्रीषधि व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे गये रजिस्टर में लिखा गया हो;

(छ) "धारा'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है; और

(ज) एतद्पश्चात् प्रयुक्त किन्तु इसमें प्रपरिभाषित समस्त अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

मस्टर रोल

3––(1) ऐसे प्रत्येक कारखाने/बागान का नियोजक जिनमें स्त्रियां नियोजित हों, प्रपत्र ''क'' में मस्टर रोल तैयार करेगा और रखेगा और उसमें कारखाने/बागान के समस्त स्त्री कर्मकारों की विशिष्टियां दर्ज करेगा।

(2) मस्टर रोल में सभी प्रविशिष्टियां स्याही से की जायेंगी और उन्हें अद्यतन रखा जायगा और वह कार्य (–) समय में निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिये सर्वदा उपलब्ध रहेगा।

(3) नियोजक मस्टर रोल में ऐसी अन्य प्रविशिष्टियां दर्ज कर सकता है जो अधिनियम के किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रापेक्षित हो।

सबूत (धारा–5)

4––(1) कोई स्त्री गर्भवती है या उसने किसी शिशु को जन्म दिया है या उसे गर्भपात हुआ है या वह गर्भावस्था, प्रसव समय पूर्व शिशु का जन्म या गर्भपात से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित है, इस बात को निम्नलिखित से प्रपत्र ''ख'' में इस श्राशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके साबित किया जायेगा :––

(क) यथा स्थिति, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से या स्थानीय रेड क्रास सोसाइटी के प्रवैतनिक सेक्रेटरी से (यदि उसकी परिचर्या रेड क्रास प्रसूति कर्मचारी वर्ग द्वारा की गयी हो) या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन रखे गये जन्म रजिस्टर की संक्षिप्त की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें, या

(ख) राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित किसी अस्पताल या

किसी औषधालय के चिकित्सा अधिकारी से।

(2) इस बात को कि कोई स्त्री प्रसूता है, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन रखे गये जन्म रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण या रजिस्ट्रीकृत धात्री (रजिस्टर्ड मिड वाइफ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके भी साबित किया जा सकता है।

(3) इस बात को कि किसी स्त्री को गर्भपात हुआ है, किसी रजिस्ट्रीकृत धात्री द्वारा हस्ताक्षरित करके भी साबित किया जा सकता है।

(4) किसी स्त्री या शिशु की मृत्यु को उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी से प्रपत्र ''ग'' में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करके या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन रखे गये मृत्यु रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है।

5 –– रजिस्ट्रीकृत धात्री का प्रमाण–पत्र प्रपत्र ''घ'' में होगा।

प्रसूति और अन्य प्रसुविधा का भुगतान (धारा 7, 9 और 10)

(1) किसी कारखाने/बागान में नियोजित कोई स्त्री, जो प्रसूति प्रसुविधा की हकदार को, अपने नियोजक को प्रपत्र ''ड'' में सूचना (नोटिस) देगी और नियोजक अधिनियम के अधीन देय प्रसूति सुविधा किसी अन्य राशि को सम्बद्ध स्त्री को या ऐसी प्रसूति प्रसुविधा या राशि प्राप्त करने के पूर्व उसकी मृत्यु होने को स्थिति में, या यदि नियोजक धारा 5 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा का देनदार हो तो उस स्त्री द्वारा प्रपत्र ''ड़'' में अपनी सूचना (नोटिस) में नाम निर्देशित व्यक्ति को, और यदि ऐसी कोई नामांकिती न हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि को भुगतान करेगा।

(2) संदेह की स्थिति में कारखाने/बागान में नियोजित स्त्री को देय प्रसूति प्रसुविधा या अन्य राशि नियोजक द्वारा सम्बद्ध स्त्री की मृत्यु के दिनांक के दो मारा के भीतर कारखानों के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक के पास ओर बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक के पास जमा की जायेगी जो आवश्यक जांच करने के पश्चात् उसका भुगतान उस व्यक्ति को करेगा जो उसकी राय से उसे पाने का हकदार हो।

(3) जब कभी उपनियम (1) में निर्दिष्ट भुगतान किया जाये, तव नियोजक उस व्यक्ति से जिसको भुगतान किया जाये, प्रपत्र ''च'' में रसीद लेगा। उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में, रसीद कारखानों के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा और बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक द्वारा नियोजकों को दी जायेगी।

(4) प्रसूति प्रसुविधा की द्वितीय किस्त के साथ चिकित्सीय बोनस का भुगतान किया जायेगा।

(5) धारा 7 के अधीन देय प्रसूति प्रसुविधा या किसी अन्य राशि का भुगतान ऐसी प्रसुविधा या राशि पाने की हकदार स्त्री की मृत्यु के दिनांक से दो माह के भीतर किया जायेगा।

(6) धारा 9 के अधीन देय मजदूरी का भुगतान ऐसी मजदूरी पाने की हकदार स्त्री को, यथा स्थिति, प्रपत्र "ख" या प्रपत्र ''घ'' में उसके द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालिस घंटे के भीतर किया जायगा।

(7) धारा 10 के अधीन देय मजदूरी का भुगतान ऐसी मजदूरी पाने की हकदार स्त्री को उस धारा में निर्दिष्ट छुट्टी की अवधि की समाप्ति के अड़तालिस घंटे के भीतर किया जायेगा ।

शिशु पोषण लिये विराम (धारा 11)

6––धारा 11 में जिन दो बिराम का उल्लेख किया गया है उसमें से प्रत्येक 15 मिनट की काला– विधि का होगा । शिशु गृह या उस स्थान को और वहां से जहां कर्तव्यस्थ स्त्रियों द्वारा शिशुत्रों को छोड़ दिया जाता है, जाने जाने के प्रयोजनार्थ अलग से पर्याप्त समय दिया जायेगा जो तय की जाने बाली दूरी पर निर्भर होगा, परन्तु ऐसा अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम और 15 मिनट से अधिक नहीं होगा । यदि ऐसे अतिरिक्त समय के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस मामले को कार खानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और बागान के सम्बन्ध में मुख्य वागान निरीक्षकों को विनिश्चय के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा।

निरीक्षकों के कर्तव्य और उनकी शक्ति (धारा 14 और 15)

7––(1) कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक सम्पूर्ण राज्य में इस नियमावली के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(2) प्रत्येक निरीक्षक राज्य सरकार द्वारा समन्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और मुख्य कारखाना निरीक्षक मुख्य बागान निरीक्षक के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(3) प्रत्येक निरीक्षक कारखाने/बागान के प्रत्येक निरीक्षण के समय यह देखेगा कि :–

(क) धारा 6 के अधीन दी गयी प्रत्येक नोटिस पर सम्यक कार्यवाही की गयी है या नहीं;

(ख) नियम 3 के अधीन विहित मस्टर रोल ठीक से रखा जाता है या नहीं;

(ग) अन्तिम निरीक्षण के बाद से धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन में उन्मोचन या पदच्युति का या उन्मोचन या पदच्युति की नोटिस में दिये जाने का कोई मामला हुआ है या नहीं;

(घ) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा (5) और (6), धारा 8, 9, 10, 11, 13 और 19 के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है या नहीं और देय राशि का भुगतान विहित समय के भीतर किया गया है या नहीं;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (2) के उल्लंघन में प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सीय बोनस से वंचित होने के मामले हुये हैं या नहीं, और.

(च) पूर्ववर्ती निरीक्षण के समय बतायी गयी अनियमितताथों को कहां तक दूर किया गया है और जारी किये गये पूर्ववर्ती आदेशों का कहां तक अनुपालन किया गया है ।

(4) जहां निरीक्षक द्वारा अधिनियम या इस नियमावली के विरुद्ध अनियमिततायें पायी जाये वहां वह नियोजक को खत आदेश जारी करेगा जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनियमितताओं सुधार करने और श्रादेश के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षक को रिपोर्ट करने के लिये कहेगा।

ऐसे कार्य जिनसे घोर घनचार होगा (धारा 12)

8 धारा 12 के प्रयोजनार्थं निम्नलिखित कार्यों से घोर श्रवचार होगा, अर्थात–

(क) नियोजक के माल या सम्पत्ति को जानबूझकर नष्ट करना।

(ख) कार्य स्थल पर किसी वरिष्ठ सह कर्मचारी पर हमला करनाः ;

(ग) नैतिक श्रधमता समन्वित दण्डनीय अपराध करना जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाये;

(घ) नियोजक के कारोबार या सम्पत्ति के सम्बन्ध में चोरी, कपट या

बेईमानी करना

(ङ) सुरक्षा उपायों या इस विषय पर नियमों का जानबूझकर अनुपालन न करना या सुरक्षा युक्तियों या श्रग्निनाशक उपस्कर में जानबूझकर हस्तक्षेप करना ।

धारा 12 के अधीन अपील (धारा 12 (2) (ख))

9– (1) धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन अपील कारखानों के संबंध मुख्य कारखाना निरीक्षक को और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक को प्रपत्त ''छ'' में की जायेगी।

(2) अपील लिखित रूप से की जा सकती है और उसे कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जायेगा ।

(3) जब कोई अपील प्राप्त हो, तो कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक अपील के ज्ञापन की एक प्रति नियोजक को भेजेगा, उसने उसका उत्तर मांगेगा और अपील विवाद्यक विषय से सम्बद्ध दस्तावेजों को निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत करने के लिये भी कहेगा । कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक नियोजक से और स्त्री से भी अतर ब्योरे को, यदि श्रावश्यक हो, प्रभिनिश्चित कर सकता है। प्रस्तुत किये गये और अपने द्वारा ग्रभिनिश्चित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य वागान निरीक्षक अपना विनिश्चय करेगा। यदि नियोजक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना उत्तर देने या अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक एक पक्षीय विनिश्चय कर सकता है।

धारा 17 के अधीन परिवाद (धारा 17 (1))

10––(1) द्वारा 17 की उपधारा (1) के अधीन लिखित परिवाद यथास्थिति प्रपत्र ''ज'' या ''झ'' में किया जायेगा ।

(2) जब धारा 17 में निर्दिष्ट परिवाद निरीक्षक को प्राप्त हो जायें, तब वह नियोजक द्वारा इस निमित्त रखे गये सुसंगत अभिलेखों की जांच करेगा, कारखाने/बागान में नियोजित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा करेगा और जांच के प्रयोगार्थ यावश्यक बयान लेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रसूति प्रसुविधा या राशि को अनुचित रूप से रोक लिया गया है तो वह यथास्थिति, स्त्री को या धारा 7 के अधीन भुगतान का दावा करने वाले व्यक्ति को तुरन्त या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने के लिये नियोजक को निदेश देगा ।

धारा 17 के अधीन परिवाद (धारा 17 (3))

11––(1) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय के विरुद्ध अपील श्रमायुक्त को की जायेगी ।

(2) व्यथित व्यक्ति श्रमायुक्त को प्रपत्र ''झ'' में लिखित अपील करेगा और अन्य समर्थनकारी दस्तावेज दाखिल करेगा ।

(3) अपील प्राप्त हो जाने पर श्रम श्रायुक्त निर्धारित दिनांक के पूर्व निरीक्षक से मामले जींज भिलेख मंगायेगा और यदि श्रावश्यक हो तो श्रम आयुक्त व्यथित व्यक्ति और निरीक्षक का वयान भी मिलिखित करेगा और स्पष्टीकरण मांगेगा, यदि अपेक्षित हो ।

(4) श्रम श्रायुक्त दस्तावेजों, अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और उन तथ्यों को, जो उसके समक्ष प्रस्तुत या उसके द्वारा अभिनिश्चित किये जाये, ध्यान में रखते हुए अपना विनिश्चय करेगा।

प्रपत्र देना

12–– नियोजक अपने द्वारा नियोजक प्रत्येक स्त्री को, उसके अनुरोध पर प्रपत्न ''ख'', ''ग'', ''घ'', ''च'', ''छ'', ''ज'' और ''झ'' की प्रतियाँ निःशुल्क देगा।

नोटिस, अपील या परिवाद को विहित प्रपत्रों में प्रस्तुत न किया जाना।

13––नियम 5, 9 और 10 की किसी बात का प्रभाव अधिनियम के अधीन देय प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य राशि पाने की हकदार किसी स्त्री के अधिकार पर नहीं पड़ेगा, यदि वह उक्त नियमों के अधीन विहित प्रपत्र में, यथास्थिति, कोई नोटिस, अपील या परिवाद प्रस्तुत करने में विफल होः

परन्तु जहां अधिनियम के अधीन देय प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य राशि पाने की हकदार स्त्री द्वारा उक्त नियमों के अधीन कोई नोटिस, अपील या परिवाद विहित प्रपत्न से भिन्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया हो, वहाँ सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसी नोटिस अपील या परिवाद की प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर उस स्त्री से विहित प्रपत्र में, यथास्थिति, नोटिस, अपील या परिवाद प्रस्तुत करने की प्रपेक्षा कर सकता है।

अभिलेख (धारा 20) संक्षिप्त

14– अधिनियम और इस नियमावली के अधीन रखे गये अभिलेखों उनके तैयार किये जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये परिरक्षित किये जायेंगे।

(धारा 19)

15–– अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों की संक्षिप्त जिसे धारा 19 के अधीन प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है, प्रपत्र ष्टष में होगी और उसे ऐसी रीति से जैसी कारखानों के संबंध मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक प्रवेक्षा करें, प्रदर्शित किया जायेगा ।

16–– (क) प्रत्येक कारखाने / बागान का नियोजक प्रति वर्ष 21 जनवरी या उसके पूर्व, कार– खानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और वागान के सम्बन्ध में मुख्य बागान निरीक्षक को प्रपत्न ''ठ'', ''ड'', ''ढ़'' और ''ण'' में से प्रत्येक में विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के बारे में सूचना दी जायगी।

(2) यदि ऐसे कारखान/बागान का, जिस पर अधिनियम लागू होता है, नियोजक कारखाने/बागान को बेच देता है. उसका परित्याग कर देता है या उसे चलाना बन्द कर देता है तो यह यया– स्थिति, विक्रय या परित्याग दिनांक से एक माह के भीतर या बन्द करने के दिनांक से चार मास के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति और विक्रय परित्याग या बन्द किये जाने के दिनांक के बीच की अवधि के सम्बन्ध में उक्त प्रत्येक प्रपत्र में अतर विवरणी कारखानों के सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और वागान के सम्बन्ध में बागान निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

प्रपत्र ''क''

(नियम 3 देखिए)

मस्टर रोल

कारखाना/बागान का नाम

1– क्रम संख्या

2– स्त्री का नाम और उसकी ग्रायु और उसके पिता (या यदि विवाहित हो तो पति) का नाम

3– नियुक्ति का दिनांक

4– कार्य का प्रकार

5– दिनांक, मास, और वर्ष जब वह नियोजित हुई हो, कामबन्दी पर हो और नियोजित न होः

मास	नियोजित दिनों की संख्या	काम बन्दी दिनों की संख्या	अनियोजित दिनों की संख्या	अभ्युक्ति

धारा 6 के अधीन स्त्री द्वारा नोटिस देने का दिनांक.

7– उन्मोचन/पदच्युति का दिनांक, यदि कोई हो

8– धारा 6 के अधीन गर्भावस्था का सबूत प्रस्तुत करने का दिनांक.

9– शिशु का जन्म दिनांक

10–प्रसव/गर्भपात/मृत्यु का सबूत प्रस्तुत करने का दिनांक

11– धारा 10 में निर्दिष्ट रुग्णता का सबूत प्रस्तुत करने का दिनांक

12– प्रत्याशित प्रतव के लिये अग्रिम भुगतान की गयी प्रसूति प्रसुविधा की राशि और दिनांक

13– प्रसूति प्रसुविधा के लिये पश्चात्वर्ती भुगतान की राशि और दिनांक

14– धारा 8 के अधीन चिकित्सा बोनस की राशि, यदि भुगतान की गयी हो और दिनांक

15– धारा 9 के अधीन छुट्टी के भत्ते भुगतान की गयी मजदूरी की राशि और दिनांक

16– धारा 10 के अधीन छुट्टी के मद्धे भुगतान की गयी मजदूरी की राशि और स्वीकृत छुट्टी की अवधि

17– धारा 06 के अधीन स्त्री द्वारा नाम निदेशित व्यक्ति का नाम

18– यदि स्त्री की मृत्यु हो जाये तो उसकी मृत्यु का दिनांक, उस व्यक्ति का नाम जिसको प्रसूति प्रसुविधा और या अन्य कोई राशि का भुगतान किया गया, उसकी राशि और भुगतान का दिनांक

19– यदि स्त्री की मृत्यु हो जाय तो और शिशु जीवित हो तो उस व्यक्ति का नाम जिसको शिशु की ओर से प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान किया गया और वह अवधि जिसके लिये उसका भुगतान किया गया.

20– कारखाने/बागान के नियोजक का हस्ताक्षर जो मस्टर रोल में प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करें.

21– निरीक्षक के उपयोग के लिये अभ्युक्ति स्तम्भ.

प्रपत्र ''ख''

IndiaCode

नियम 4 (1) देखिए

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने दिनांक को की, स्त्री/पुत्री की जो (कारखाने/बागान का नाम) में स्त्री कर्मचारी है, परीक्षा की और यह पाया। मैं यह मालूम नहीं कर सका कि वह गर्भवती है और यह प्रत्याशित है दिनांक को कि वह उपरिलिखित दिनांक से (मास/दिन) के भीतर शिशु को जन्म देगी। दिनांक को उसका गर्भपात हुआ/उसने शिशु को जन्म दिया है या वह (दिनांक) से गर्भावस्था/प्रसव/समय से पूर्व शिशु जन्म का गर्भपात से पैदा होने वाली रुग्णता से पीड़ित है।

दिनांक

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा
व्यवसायी के हस्ताक्षर
अर्हता और पदनाम

प्रपत्र ''ग''

(नियम 4 (4) देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री की पत्नी/पुत्री श्रीमती की, जो (कारखाने/बागान का नाम) में स्त्री कर्मचारी है, दिनांक प्रसूति के दौरान/पश्चात् मृत्यु हो गयी। शिशु की मृत्यु का दिनांक को हुई/वह जीवित है ।

दिनांक

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी
के हस्ताक्षर अर्हता और पदनाम

प्रपत्र ''घ''

(नियम 4 (5) देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने की पत्नी/पुत्री की, जो (कारखाना/बागान का नाम) में स्त्री कर्मचारी है, परीक्षा की और यह पाया कि (दिनांक) को उसने शिशु को जन्म दिया है। उसका गर्भपात हुआ है।

दिनांक.

रजिस्ट्रीकृत घाती के हस्ताक्षर

"शिशु" और ''गर्भपात'' की परिभाषा, जैसी कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में दी गयी है:

1– '' शिशु '' के अन्तर्गत मृतजात शिशु भी है।

2– "गर्गपात'' से गर्भावस्था के छब्बीसवें सप्ताह के पूर्व या दौरान की किसी काल–कालावधि में संगर्भो/गर्भाशय की दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय है ।

प्रपत्र ''ड''

(नियम 5 (1) देखिए)

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अधीन सूचना (नोटिस)

(कारखाना/बागान का नाम)

मैं (स्त्री का नाम) की पत्नी /पुत्री, जो (कारखाना / बागान का नाम) में के रूप में नियोजित हूं, एतद्द्वारा सूचना (नोटिस) देती हूं कि इस सूचना (नोटिस) के दिनांक से आगामी छः सप्ताह के भीतर सूतिका बास की प्रत्याशा करती हूं/ (दिनांक) को शिशु को जन्म दे चुकी हूं और (दिनांक) से काम से अनुपस्थित रहूंगी। मैं उस अवधि के दौरान जिसके लिये मैं प्रसुविधा पाती हूं, किसी स्थापन कार्य नहीं करूंगी।

2– धारा 7 के प्रयोजनार्थ, मैं अपनी मृत्यु की दशा में, अधिनियम के अधीन देय प्रसूति प्रसुविधा और/या कोई अन्य राशि प्राप्त करने के लिए (यहां नामांकिती का नाम और पता दर्ज कीजिये) को नाम निर्दिष्ट करती हूं।

यदि स्त्री हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो
और अंगूठे का निशान लगायें तो
अभिप्रमाताओं के हस्ताक्षर

स्त्री का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक

प्रपत्र ''ख''

(नियम 5 (3) देखिए)

प्रसूतिप्रसुविधा की रसीद का प्रपत्र

सेवा में,

..... (कारखाना/बागान का नाम)

मैं अधोहस्ताक्षरी, जो जिला में पर स्थित (कारखाना/बागान का नाम) में स्त्री कर्मचारी/कर्मचारी का नामांकित /मृत स्त्री कर्मचारी का विधिक प्रतिनिधि हूँ ऊपर निदिष्ट कारखाना/बागान के नियोजक से प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अर्ध न देय प्रसूति प्रसुविधा और/ या राशि प्राप्त किया, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:–

..... रूपया, जो दिनांक को भुगतान की गई प्रसूति प्रसुविधा की प्रथम किस्त है ।

..... रुपया, जो प्रसव के पश्चात् दिनांक को भुगतान की गयी प्रसूति प्रसुविधा की द्वितीय किस्त है।

..... रूपया, जो धारा 9 या 10 के अधीन उल्लिखित में तक की छुटट्टी की अवधि के लिये मजदूरी है।

दिनांक मैं वह प्रसूता रही हूं/मेरा/उसका गर्भपात हुआ या मैं/वह गर्भावस्था, प्रसव समयापूर्व शिशु का जन्म या गर्भपात के कारण दिनांक को रूग्ण हो गयी। परिणामस्वरूप मैं उसकी नामांकिनी/विधिक प्रतिनिधि ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 5, 8, 9 और 10 में विहित उपर्युक्त राशि प्राप्त कर ली है।

स्त्री कर्मचारी या उसके नामांकिनी या विधिक प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

यदि स्त्री हस्ताक्षर करने में समर्थ है और अंगूठे का निशान लगाती है तो अभिप्रमाता का हस्ताक्षर।

दिनांक

प्रपत्र ''छ''

(नियम 9 देखिए)

सेवा में,

मुख्य कारखाना निरीक्षक/मुख्य बागान निरीक्षक,

.....(पता)

.....

महोदय,

मैं अधोहस्ताक्षरी (कारखाना) वागान का नाम और पूरा पता श्री, की स्त्री कर्मचारी, जो संलग्न कारणों से नियोजक द्वारा प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सा बोनस दोनों (अनावश्यक भाग काट दीजिये) से वंचित कर दी गयी हू, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन यह अपील प्रस्तुत करती हूँ और अनुरोध करती हूं कि उक्त नियोजक को आदेश दिया जाय कि वह मुझे उपर्युक्त राशि का भुगतान करें इस निमित्त नियोजक के आदेश की प्रति संलग्न है।

दिनांक

स्त्री का हस्ताक्षर या यंगूठे का निशान

IndiaCode

यदि स्त्री हस्ताक्षर करने में असमर्थ है
और अंगूठे का निशान लगाये
तो अभिप्रमाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र ''ज''
(नियम –10 देखिए)

सेवा में,

निरीक्षक,

.....

महोदय,

मैं (स्त्री का नाम) जो (कारखाना / बागान का नाम और पूरा पता) में नियोजित हूं और मैंने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा कर दिया है रूपये का, जो प्रसूति प्रसुविधा है और/या रुपये का, जो बोनस और / या रुपये, जो धारा 9 या 10 के अधीन देय छुट्टी की मजदूरी है, हकदार हूं किन्तु उसे नियोजक ने अनुचित रूप से रोक लिया है। अतएव उन्हें निर्देश दिया जाये कि वह मुझे उक्त राशि का भुगतान कर दें।

दिनांक

स्त्री का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
यदि स्त्री हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो और
अंगूठे का निशान लगाये तो अभिप्रमाता के
हस्ताक्षर.
स्त्री का पूरा पता.

प्रपत्र ''झ''
(नियम 10 देखिए)

सेवा में,

निरीक्षक,

.....

मै (नाम), धारा 6 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या (कारखाना / बागान का नाम और पूरा पता) में नियोजित (स्त्री का नाम) का विधिक प्रतिनिधि परिवाद करता हूं कि उक्त स्त्री, जिसने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाये गये नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरी कर दिया है रूपये की

जो प्रसुति प्रसुविधा है और/या रुपये की जो चिकित्सा बोनस है और/या रुपये की जो धारा 9 या 10 के अधीन देय छुट्टी की मजदूरी हैं,

हकदार हैं किन्तु जिसे नियोजक द्वारा अनुचित रूप से रोक लिया गया है। उन्हें निदेश दिया जाय कि वह मुझे उक्त धनराशि का भुगतान कर दें।
दिनांक.

नामांकिती/विधिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान/यदि नामांकिती/
विधिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर करने में असमर्थ है
और अंगूठे का निशान लगाये
तो अभिप्रमाता का हस्ताक्षर
नामांकिती/विधिक प्रतिनिधि का पूरा
पता

प्रपत्र ''ज''
(नियम 11 देखिए)

IndiaCode

सेवा में
श्रमायुक्त
.....
.....

महोदय,

श्री निरीक्षक ने धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन प्रसूति प्रसुविधा या अन्य राशि को जो (राशि का प्रकार) है जिसके लिये (स्त्री का नाम) हकदार बतायी जाती है भुगतान करने का निदेश दिया है। मैं धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन यह अधीन प्रस्तुत करता हूँ। संलग्न ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों और इसके साथ दाखिल अन्य दस्तावेजों को देखते हुए यह निवेदन किया जाता है कि स्त्री प्रसूति प्रसुविधा या उक्त राशि की हकदार नहीं है, इस लिये निमित्त निरीक्षक के विनिश्चय को जिसको प्रति संलग्न है अपास्त किया जाय।
जदिनांक .

व्यथित व्यक्ति के हस्ताक्षर
पूरा पता.....

प्रपत्र ''ट''
(नियम 15 देखिए)

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और उसके अधीन बनाये गये नियमों की संक्षिप्ति

1– कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके प्रसव या गर्भपात के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती के छः सप्ताह के दौरान जानते हुए नियोजित नहीं करेगा और कोई भी स्त्री उक्त अवधि के दौरान स्थापन कार्य नहीं करेगी ।

2– किसी भी गर्भवती स्त्री से इस निमित्त उसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उसके प्रत्याशित प्रसव के दिनांक के पूर्व के सप्ताह की अवधि के ठीक पूर्ववर्ती एक मास की अवधि के दौरान और इस छरू सप्ताह की अवधि के दौरान की किसी अवधि में भी जिसके लिये वह ग्रनुपस्थिति की छुट्टी का उपभोग नहीं करती, उसके नियोजकों द्वारा कोई ऐसा काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जो कठिन प्राकृति का हो या उसमें दीर्घकाल तक खड़ा रहना अपेक्षित हो या जिसमें उसके गर्मिणीत्व में या भ्रूण के प्रसामान्य विकास में किसी प्रकार विघ्न होना संभाव्य हो या जिसमें उसका गर्भपातकारिता होना या अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य हो ।

3– (1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक स्त्री जिसने ऐसे नियोजक के स्थगन में वस्तुतः काम किया हो जिससे वह कम से कम एक सौ साठ दिन की अवधि के लिये जिसके अन्तर्गत वे दिन भी हैं जिसके दौरान वह काम बंदी पर थी प्रसूति प्रसुविधा का दावा करती है, अपने प्रसव के दिन सहित उस दिन के व्यवहित पूर्व छः सप्ताह से अधिक अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिये और उस दिन के अव्यवहित पश्चात्वतीं छः सप्ताह के लिये ग्रांसत मजदूरी या प्रति दिन एक रुपया, जो भी अधिक हो, की दर पर प्रसूति प्रसुविधा के संदाय की हकदार होगी और उसका नियोजक उसके लिये दायी होगा परन्तु उपर्युक्त एक सौ साठ दिन की अर्हक अवधि उस स्त्री को लागू नहीं होगी, जिसने आसाम राज्य में आवारा किया हो और आवास के समय गर्भवती रही हो :

परन्तु जहां किसी स्त्री की मृत्यु उस अवधि के दौरान हो जाय जिसके लिये वह प्रसूति प्रसुविधा उसे देय हो वहां उक्त प्रसुविधा उसकी मृत्यु के दिन तक के लिये हो जिसमें वह दिन भी सम्मिलित होगा, संदेय होगी। फिर भी जहां कोई स्त्री को जन्म देकर अपने प्रसव के दौरान या अपने प्रसव के दिनांक के अव्यवहित पश्चातृवत छः सप्ताह की अवधि के दौरान इन दोनों दशाओं में किसी भी दशा में उस शिशु को छोड़कर मर जाये, वहां नियोजक उसके प्रसव के दिन के व्यकि पश्चातवर्ती छः सप्ताह की सम्पूर्ण अवधि के लिये किन्तु यदि शिशु की मृत्यु भी उक्त अवधि के दौरान हो जाय तो शिशु की मृत्यु के दिन तक के दिनों के लिये जिसमें वह दिन भी सम्मिलित होगा, प्रसूति प्रसुविधा का दायी होगा।

(2) किसी स्त्री के प्रत्याशित प्रसव के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये प्रसूति प्रसुविधा की राशि ''ख'' में एक प्रमाण–पत्र जिसमें यह कथित होगा कि यह गर्भवती है और यह प्रत्याशित है कि वह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर शिशु को जन्म देगी, उस स्त्री को नियोजक द्वारा अग्रिम दी जायेगी और पश्चातवर्ती अवधि के लिये देय राशि का भुगतान प्रपत्र ''ख'' या प्रपन्न ''घ'' में प्रमाण–पत्र जिसमें यह कथित होगा कि उसने शिश को जन्म दिया है, पेश किये जाने या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के

उपबन्धों के अधीन रखे गये जन्म रजिस्टर प्रमाणित उद्धरण पेश किये जाने के अड़तालीस घंटों के भीतर उस स्त्री को नियोजक द्वारा रखा जायेगा ।

4– (1) किसी स्थापन में नियोजित और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रसूति, प्रसुविधा की राशि एक हकदार स्त्री अपने नियोजक को प्रात ''ड़'' में यह कथन करते हुए लिखित सूचना दे सकेंगी कि उसको प्रसूति प्रसुविधा और कोई अन्य राशि जिसकी वह इस अधिनियम के अधीन हकदार हो, उसे या ऐसे व्यक्ति को जिसे वह सूचना में नाम– निर्दिष्ट करें, संदत्त की जाय और यह कि वह उस अवधि के दौरान जिसके लिये वह प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करती है किसी स्थापन में कार्य नहीं करेगी ।

(2) ऐसी स्त्री की दशा में जो गर्भवती है, ऐसी सूचना में वह दिनांक कथित होगा जबसे वह काम से अनुपस्थित रहेगी और वह दिनांक उसके प्रत्याशित प्रसव के दिनांक से छः सप्ताह के पूर्वतर का नहीं होगा।

(3) कोई स्त्री जिसने तब सूचना नदी हो जब वह गर्भवती थी, प्रसव के पश्चात् यथा संभव शीघ्र ऐसी सूचना दे सकेगी।

(4) जब सूचना की प्राप्ति पर नियोजक उस स्त्री को यह अनुज्ञा देगा कि वह अपने प्रसव के दिन के पश्चात् छः सप्ताह अवसान तक स्थान से अनुपस्थित रहे ।

5– (1) यदि नियोजक द्वारा प्रसवार्थ व्यवस्था और प्रसवोत्तर देख–रेख का कोई भी उपबन्ध निःशुल्क न किया गया हो तो इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा के हकदार प्रत्येक स्त्री अपने नियोजक से पचीस रूपये का चिकित्सीय बोनस पाने का हकदार होगी। चिकित्सीय बोनस का भुगतान प्रसूति प्रसुविधा की द्वितीय किश्त रुपये के साथ किया जायेगा।

(2) गर्भपात की दशा में कोई स्त्री या प्रपत्र ''घ'' में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर, अपने गर्भपात के दिन के अव्यवहित पश्चात्वर्ती छः सप्ताह की अवधि के लिये प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित छुट्टी की हकदार होगी। मजदूरी का भुगतान प्रपत्र ''ख'' या प्रपत्र ''घ'' में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के अड़तालीस घंटों के भीतर किया जायेगा।

(3) गर्भावस्था प्रसव, समय से पूर्व, शिशु जन्म या गर्भपात पैदा होने वाली रूग्णता से पीड़ित स्त्री प्रपत्र ''ख'' में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर यथास्थिति, प्रसूति या गर्भपात के कारण उसे अनुज्ञात अनुपस्थिति की अवधि के प्रतिरिक्त प्रसूति प्रसुविधा की दर पर मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की अवधि की छुट्टी की हकदार होगी। छुट्टी की अवधि की मजदूरी का भुगतान उक्त अवधि के अवसान के अड़तालीस घंटों के भीतर किया जायेगा।

6–प्रत्येक प्रसूता स्त्री को जो ऐसे प्रसव के पश्चात् काम पर वापस आती है, उस विश्रामार्थ अन्तराल के अतिरिक्त जो उसे अनुज्ञात है, अपने दैनिक काम की चर्या में शिशु के पोषण के लिये पन्द्रह मिनट की अवधि में दो विराम तब तक अनुज्ञात होंगें जब तक वह पन्द्रह मास की आयु पूरी न करले। शिशु कक्ष या ऐसे स्थान को जहां स्त्री द्वारा काम के दौरान शिशु को छोड़ दिया जाता है, और वहां से यात्रा करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समय अनुज्ञात होगा जो तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर होगी, परन्तु ऐसी अतिरिक्त अवधि पांच मिनट से कम और पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगी।

7– (1) जब कोई स्त्री काम पर से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुपस्थित रहती है, तब उसके नियोजक के लिये विधि विरुद्ध होगा कि वह उसे ऐसी अनुपस्थिति के दौरान या के कारण उन्मोचित या पदच्युत करें या उसे उन्मोचन या पदच्युत की सूचना ऐसे दिन दें कि वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान अवसित हो या उसकी सेवा की शर्तों में से किसी में उसके लिये ग्रहितकर फेरफार करें।

2– (कं) किसी स्त्री का उसकी गर्भावस्था के दौरान किसी समय उन्मोचन या पदच्युति का प्रभाव उसे प्रसूति सुविधा या चिकित्सा बोनस से वंचित करना न होगा, यदि वह स्त्री ऐसे उन्मोचन या पदच्युति के अभाव में प्रसूति सुविधा या बोनस का हकदार होतीः

परन्तु जहां कि पदच्युति निम्नलिखित किसी एक या अधिक कार्यों के कारण हो, वहां नियोजक स्त्री को संसूचित लिखित देश द्वारा उसे प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित कर सकेगा।

(एक) नियोजक के माल या सम्पत्ति को जान–बूझ कर नष्ट करना,

(दो) कार्य स्थल पर किसी वरिष्ठ या सह कर्मचारी पर हमला;

(तीन) नैतिक अधमता समन्वित दण्डनीय अपराध करना जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाय

(चार) नियोजक के कारबार या सम्पत्ति के संबंध में चोरी, कपट या बेइमानी करना;

(पांच) सुरक्षा उपायों या इस विषय पर नियमों का जानबूझ कर अनुपालन न करना या सुरक्षा मुक्तियों या अग्निशामक उपस्कर में जानबूझ कर हस्तक्षेप करना।

(ख) प्रसूति प्रसुविधा या बोनस या दोनों से वंचित स्त्री जिसे ऐसे वंचित किये जाने का प्रादेश संसूचित किया गया हो, उस दिनांक से साठ दिन के भीतर कारखानों के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक को प्रपत्र ष्छष् में अपील कर सकेगी और ऐसी अपील कारखानों के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक का यह विनिश्चय अंतिम होगा कि स्त्री को प्रसूति प्रसुविधा या चिकित्सा बोनस या दोनों से वंचित किया जाना चाहिये या नहीं ।

8– यदि कोई स्त्री अपने नियोजन द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात किये जाने के पश्चात् किसी स्थापन में काम करती है तो ऐसी अवधि के लिये प्रसूति प्रसुविधा का उसका दावा समपहृत हो जायगा।

9– (1) इस बात का दावा करने वाली कोई भी स्त्री कि प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य राशि जिसकी यह इस अधिनियम के अधीन हकदार हैं, अनुचित रूप से रोक ली गयी है, और इस बात का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति कि देय भुगतान को अनुचित रूप रोक लिया गया है, निरीक्षक से, यथास्थिति, प्रपत्र ''ज'' या ''झ'' में लिखित परिवाद कर सकता है।

(2) निरीक्षक स्वप्रेरणा से या प्रपत्र ''ज'' या ''झ'' में कोई परिवाद प्राप्त होने पर जांच कर सकता है या करा सकता है और यदि उसका समाधान हो जाय कि भुगतान को सदोपतः रोक लिया गया है तो वह अपने प्रदेशों के अनुसार भुगतान किये जाने के लिये निर्देश दे सकता है।

(3) निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस दिनांक से जब ऐसा विनिश्चय ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाय, तीस दिन के भीतर प्रपत्र ''ज्ञ'' में अपील श्रमायुक्त को कर सकता है ।

(4) जहां कोई अपील श्रम श्रायुक्त को की गयी हो वहां उसका, और जहां ऐसी कोई अपील न की गई हो, वहां निरीक्षक का, विनिश्चय अंतिम होगा।

10–– (क) नियोजक अपने द्वारा नियोजित स्त्री को उसके अनुरोध पर प्रपत्र "ख","ग" "घ","ङ","च", ''टु", "ज'' और ''झ'' की प्रतियां निःशुल्क देगा ।

(खं) विहित प्रपत्र में कोई सूचना, अपील या परिवाद प्रस्तुत करने में असफल होने का प्रभाव अधिनियम के अधीन देव प्रसूति प्रसुविधा या कोई अन्य राशि पाने की हकदार स्त्री के अधिकार पर नहीं पड़ेगा। जहां कोई सूचना, अपील या परिवाद विहित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में प्राप्त हुआ हो, वहां सम्बद्ध अधिकारी ऐसी सूचना, अपील वा परिवाद की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उस स्त्री से विहित प्रपत्र में, यथा सूचना, श्रपल या परिवाद प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

11 (क)––(1) ऐसे प्रत्येक कारखाने/बागान का नियोजक जिसमें स्त्री नियोजित हो प्रपन्न ''क'' में मस्टर रोल तैयार करना पड़ेगा और उसमें कारखाने/बागान की समस्त स्त्री कर्मचारी की विशिष्टियां दर्ज करेगा।

(2) मस्टर रोल में समस्त प्रविष्टियां स्याही से की जायेंगी और उन्हें अद्यतन रखा जायगा और काम के घंटों में निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिये सदैव उपलब्ध रहेगा ।

(ख) प्रत्येक कारखाने/बागान का नियोजक प्रतिवर्ष 21 जनवरी को या उसके पूर्व कारखानों के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक को और बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक को प्रत्येक प्रपत्र ''ह'', ''ड'', ''टु" और "ण" में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के संबंध में सूचना दी जायेगी ।

प्रपत्र ''ठ''.

(नियम 16 देखिए)

31 दिसम्बर 19 को समाप्त होने वाले वर्ष की

वार्षिक विवरणी

1– कारखाने/बागान का नाम

2– कारखाने/बागान की स्थिति

मौजा..

जिला.

राज्य.

निकटतम रेलवे स्टेशन.

3– कारखाने/वागान के खुलने का दिनांक .

4– बन्द होने का दिनांक यदि बन्द हुआ हो.

5– कारखाने/बागान का डाक पता

6– नियोजक का नाम..

नियोजक का डाक पता.

7– प्रबन्ध अभिकर्ता का यदि कोई हो, नाम

प्रवन्ध अभिकर्ता का डाक पता.

8– नियोजक के अभिकर्ता प्रतिनिधि का नाम.

नियोजक के प्रतिनिधि का डाक पता.

9– प्रबन्धक का नाम

प्रबन्धक का डाक पता

10– (क) कारखाने से सम्बद्ध चिकित्सा अधिकारी का नाम

(ख) कारखाने/बागान से संबंद्ध चिकित्सा अधिकारी की अर्हता

(ग) क्या वह कारखाने/बागान का निवासी है

(च) यदि वह अंशकालिक कर्मचारी है तो कितनी बार कारखाने/बागान का निरीक्षण करता है.

11– (क) क्या कारखाने बागान में कोई अस्पताल है.

(ख) यदि है, तो नियोजित स्त्रियों के लिये कितनी शैय्या की व्यवस्था की गयी है.

(ग) क्या कोई महिला डाक्टर है

(घ) यदि है, तो उसकी अर्हता क्या है ।

(ङ) क्या कोई अथ धात्री है.

(च) क्या किसी शिशु गृह की व्यवस्था की गयी है.

IndiaCode

नियोजक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ''ड''

(नियम 16 देखिए)

31 दिसम्बर, 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

स्त्री का नियोजन, पदच्युति, वोनस का भुगतान

आदिः––

1– कारखाना/बागान.

2– वर्ष के दौरान स्थाई या अस्थाई तौर पर नियजित स्त्रियों की कुल संख्या.

3– ऐसी स्त्रियों की संख्या जिन्होंने प्रसव के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास में कम से कम एक सौ साठ दिनों की अवधि तक काम किया हो.

4– ऐसी स्त्रियों की संख्या जिन्होंने धारा 6 के अधीन सूचना दी.

5– ऐसी स्त्रियों की संख्या जिन्हें प्रसूतिकावास की सूचना प्राप्त होने पर अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी गयी..

6– प्रसूति प्रसुविधा के दावों की संख्या, जिनका भुगतान किया गया.

7– प्रसूति प्रसुविधा के ऐसे दावों की संख्या जिन्हें अस्वीकार किया गया.

8– ऐसे मामलों की संख्या जिनमें प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रसवार्थं व्यवस्था और प्रसवोत्तर देख–रेख की व्यवस्था निःशुल्क की गयी हो (धारा 8)

9– चिकित्सा बोनस के ऐसे दावों की संख्या जिनका भुगतान किया गया (धारा 8)

10– चिकित्सा बोनस के ऐसे दावों की संख्या जिन्हें अस्वीकार किया गया
11– ऐसे मामलों की संख्या जिनमें गर्भपात के लिये छुटटी स्वीकृत की गयी.
12– ऐसे मामलों की संख्या जिनमें गर्मपात के लिये छुट्टी के ये आवेदन पत्र दिया गया था किन्तु उन्हें अस्वीकार दिया गया..
13– ऐसी स्त्रियों की संख्या जिनकी
(क) प्रसव के पूर्व .
(ख) प्रसव के पश्चात् .
मृत्यु हो गयी ।
14– ऐसे मामलों की संख्या जिसमें सम्बद्ध स्त्री से भिन्न व्यक्तियों को भुगतान किया.
15– काम करते समय उन्मोचित या पदच्युत स्त्रियों की संख्या
16– धारा 12 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और/या चिकित्सा बोनस से वंचित स्त्रियों की संख्या.
17– ऐसे मामलों की संख्या जिनमें कारखाने के संबंध में मुख्य कारखाना निरीक्षक और बागान के संबंध में मुख्य बागान निरीक्षक या निरीक्षक के आदेश पर भुगतान किया गया..
18– अभ्युक्ति..

अवधेयः ––– प्रत्येक मामले की पूरी विशिष्टियों और क्रम संख्या 7, 10, 12, 14, 17 और 18 के अधीन की गयी कार्यवाही के कारणों को नीचे परिशिष्ट में दिया जाना चाहिये । दिनांक ..

नियोजक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ''द''

31 दिसम्बर, 19. को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान किये गये भुगतान का ब्योरा उस व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया भुगतान की गयी राशि

1– भुगतान का दिनांक
2– स्त्री कर्मचारी
3– स्त्री की नामांकिती
4– स्त्री का विधिक प्रतिनिधि.
5– प्रत्याशित प्रसव के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि की राशि
6– पश्चात्वर्ती अवधि की राशि
7– अधिनियम की धारा 8 के अधीन
8– अधिनियम की धारा 9 के अधीन
9– अधिनियम की धारा 10 के अधीन
10– उन स्त्री/कर्मकारों की संख्या जो प्रसूति प्रसुविधा की प्रथम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् फरार हो गयी
11– ऐसे मामले जिसमें किसी न्यायालय में दावों का प्रतिवाद किया गया

12– ऐसे मामलों के परिणाम

13– अभ्युक्ति...

दिनांक .

प्रपत्र ''ण''

(नियम 16 देखिए)

31 दिसम्बर, 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान अभियोजन

स्त्री कर्मचारी के नियोजन का स्थान	संस्थित किये गये वादों की संख्या	ऐसे वादों की संख्या जिनका परिणाम दोष सिद्ध हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4

(कारखाने/बागान के लिये)

अवधेय–– श्रभियोजन के कारण नीचे परिशिष्ट में पूर्ण रूपेण दिये जाने चाहिये ।

नियोजक के हस्ताक्षर

आज्ञा से,

के० रस्तोगी,

सचिव।

IndiaCode